भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 90

(जिसका उत्तर सोमवार, 3 फ़रवरी, 2025/14 माघ, 1946 (शक) को दिया जाना है)

धर्मार्थ संगठनों को दान

90. श्री अरुण कुमार सागर:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार, देश में उन मंदिरों, चर्चों, गुरुद्वारों, मस्जिदों आदि जैसे धर्मार्थ संगठनों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जहां दान को आयकर अधिनियम की धारा 80-छ के अंतर्गत कर छूट के अंतर्गत रखा गया है;

(ख) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उक्त धार्मिक संगठनों को दान के रूप में प्राप्त राशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान दान के रूप में प्राप्त धनराशि को उक्त धर्मार्थ संगठनों द्वारा जिन मदों पर खर्च किया गया, उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान धार्मिक संगठनों द्वारा दान के रूप में प्राप्त राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 80-छ के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रदान की गई छूट की राशि का वर्षवार और संगठनवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क), (ख) तथा (घ)

"धर्मार्थ एवं धार्मिक" श्रेणी के अंतर्गत "धार्मिक" उप-श्रेणी में धर्मार्थ संगठनों की संख्या, जिनके संबंध में, विभिन्न दाताओं ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80छ के तहत कटौती का दावा किया है, जैसा कि पिछले तीन वर्षों में दाखिल की गई आयकर विवरणियों से उपलब्ध है, निम्नानुसार है:

निर्धारण वर्ष	दाताओं की संख्या (धर्मार्थ संगठन)	दान की राशि (करोड़ रु. में)
2022	2,067	294.29
2023	2,557	311.83
2024	1,974	227.87

आयकर के उद्देश्य से धर्मार्थ संगठनों को मंदिरों, चर्चों, गुरुद्वारों, मस्जिदों आदि के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है।

(ग)

चूंकि आय विवरणी में व्यय का कोई विशिष्ट मदवार वर्गीकरण नहीं है, अतः ऐसे कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

****